रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 1क
PART II—Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, सोमवार, 2 जून, 1975/12 ज्येष्ठ, 1897 (शक) [खण्ड XI
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 1975/JYAISTHA 12, 1897 (SAKA) [Vol. XI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं० दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, June 2, 1975/Jyaistha 12, 1897 (Saka)

The following translation in Hindi of the Payment of Gratuity Act, 1972, is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम सं० 39)

(1 जुलाई, 1975 को यथाविद्यमान)

[21 अगस्त, 1972]

कारखानों, खानों, तेलक्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय अधिनियम, 1972 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है:

परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध बागानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा।

(3) यह अधिनियम—

(क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी को;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;

(ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;

लागू होगा।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है—

(i) निम्नलिखित स्थापनों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार के, अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्थापन,

(ख) ऐसे स्थापन जिनकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं हों,

(ग) केन्द्रीय सरकार के, अथवा उसके नियंत्रणाधीन कारखाने के स्थापन,

(घ) किसी महापत्तन, खान, तेलक्षेत्र अथवा रेल कम्पनी के स्थापन,

और

(ii) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार ;

(ख) "सेवा का सम्पूरित वर्ष" से एक वर्ष की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है;

(ग) "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी अथवा कार्याविरोध, जो सम्बन्धित कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात्।

स्पष्टीकरण 1—किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविच्छिन्न सेवा में नहीं है, तब यह समझा जाएगा

कि वह निरन्तर सेवा में है जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा,—

(i) यदि किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित हो तो कम से कम 190 दिनों के लिए, अथवा

(ii) किसी अन्य दशा में, तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, कम से कम 240 दिन के लिए,

वास्तव में नियोजित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 2—किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में तब यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन दिनों के, जिनमें वह स्थापन उस वर्ष के दौरान चालू रहा, कम से कम पचहत्तर प्रतिशत दिन वास्तव में काम किया है ;

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है (शिक्षु से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति जो एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर किसी स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान में कुशल, अर्ध-कुशल, अथवा अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षण सम्बन्धी, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे ऐसे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हैं अथवा विवक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है, अथवा जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, अथवा जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950, अथवा नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है ।

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए एक हज़ार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मज़दूरी पर नियोजित किया गया हो और तत्पश्चात् किसी समय एक हज़ार रुपए प्रतिमास से अधिक की मजदूरी पर नियोजित किया जाए, उस कालावधि की बाबत उपदान, जिसके दौरान ऐसा कर्मचारी एक हज़ार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मज़दूरी पर नियोजित रहा हो, उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मज़दूरी के आधार पर अवधारित किया जाएगा ;

(च) "नियोजक" से, किसी ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के सम्बन्ध में —

(i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की है, अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, समुचित सरकार द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत है, अथवा जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं

किया गया है वहां सम्बद्ध मंत्रालय अथवा विभाग का प्रधान अभिप्रेत है,

(ii) जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की है अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है अथवा जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है,

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसका स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण है, तथा जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "कारखाना" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) में है ; 1948 का 63

(ज) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, वह स्वय, उसकी पत्नी, उसकी विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान,

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसका पति, उस की विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान :

परन्तु यदि कोई महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा, अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त करती है तो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, पति और उसके आश्रित माता-पिता ऐसी महिला कर्मचारी के कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे जब तक कि उक्त सूचना उक्त महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात् वापस न ले ली जाए ।

स्पष्टीकरण—जहां कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन उसके द्वारा संतान का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है वहां उसके द्वारा विधिपूर्वक दत्तक गृहीत संतान उसके कुटुम्ब में सम्मिलित समझी जाएगी, और जहां किसी कर्मचारी की संतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर ली गई है और ऐसा दत्तक ग्रहण, ऐसा दत्तक ग्रहण करने

वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन, वैध है वहां ऐसी संतान कर्मचारी के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी;

(झ) "महापत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (8) में है;

1908 का 15

1952 का 35

(ञ) "खान" का वही अर्थ है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) "तेलक्षेत्र" का वही अर्थ है जो तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खण्ड (ङ) में है;

1948 का 53

1951 का 69

(ड) "बागान" का वही अर्थ है जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खण्ड (च) में है;

1908 का 15

(ढ) "पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (4) में है;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) "रेल कम्पनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 के खण्ड (5) में है;

1890 का 9

(थ) "निवृत्ति" से कर्मचारी की सेवा का, अधिवर्षिता पर से भिन्न रूप में, पर्यवसान अभिप्रेत है;

(द) किसी कर्मचारी के संबंध में "अधिवर्षिता" से अभिप्रेत है—

(i) कर्मचारी द्वारा उस आयु की प्राप्ति जो सेवा की संविदा अथवा शर्तों में ऐसी आयु के रूप में नियत की गई है जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी नियोजन रिक्त कर देगा; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी द्वारा अट्ठावन वर्ष की आयु की प्राप्ति ;

(ध) "मजदूरी" से वे सब उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कर्तव्यारूढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती हैं तथा जो उसे नकद संदत्त की जाती हैं अथवा संदेय हैं तथा इसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, गृह-किराया भत्ता, अतिकाल मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है ।

नियंत्रक प्राधिकारी।

3. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे ।

उपदान का संदाय।

4. (1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको—

(क) उसकी अधिवर्षिता पर, अथवा

(ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, अथवा

(ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता पर,

उपदान संदेय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता है :

परन्तु यह और कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को अथवा, यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो, उसके वारिसों को दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था ।

(2) नियोजक कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा :

परन्तु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवसान के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त मजदूरी गणना में नहीं ली जाएगी :

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में, नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा ।

(3) कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम बीस मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगी ।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए जो अपनी निःशक्तता के पश्चात्, घटी हुई मजदूरी पर, नियोजित किया गया है, उसकी निःशक्तता के पूर्व की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी मानी जाएगी और उसकी निःशक्तता के पश्चात् की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी इस प्रकार घटी हुई मजदूरी मानी जाएगी ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या संविदा के अधीन उपदान के और अच्छे निबन्धन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जिस कर्मचारी की सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर

किए गए ऐसे लोप अथवा उपेक्षा के कारण, जिनसे कि नियोजक की सम्पत्ति की हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, समाप्त कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की मात्रा तक समपहृत कर लिया जाएगा;

(ख) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः समपहृत कर लिया जाएगा—

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं, अथवा

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता वाला अपराध है, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है ।

छूट देने की शक्ति ।

5. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान को, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, यदि समुचित सरकार की राय में ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कर्मचारियों को उपदान या पेंशन संबंधी ऐसे फायदे प्राप्त हो रहे हैं जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त फायदों से कम अनुकूल नहीं हैं ।

नामनिर्देशन ।

6. (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनार्थ नामनिर्देशन करेगा ।

(2) कर्मचारी अपने नामनिर्देशन में, इस अधिनियम के अधीन उसे संदेय उपदान की रकम, एक से अधिक नामनिर्देशिती के बीच वितरित कर सकेगा ।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा, तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, जो उसके कुटुम्ब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा ।

(4) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य हो जाएगा और कर्मचारी, उतने समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अपने कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा ।

(5) उपधारा (3) तथा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन का उपांतरण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, देने के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(6) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित कर्मचारी को प्रतिवर्तित हो जाएगा और कर्मचारी ऐसे हित के सम्बन्ध में, विहित प्ररूप में, नया नामनिर्देशन करेगा ।

(7) यथास्थिति, प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नाम-निर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जाएगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

उपदान की रकम का अवधारण ।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय प्राप्त करने का पात्र है अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, नियोजक को, ऐसे उपदान के संदाय के लिए उतने समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, लिखित आवेदन भेजेगा ।

(2) जैसे ही उपदान संदेय हो जाता है नियोजक, चाहे उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है अथवा नहीं, उपदान की रकम अवधारित करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, तथा नियंत्रक प्राधिकारी को भी इस प्रकार अवधारित उपदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना देगा ।

(3) नियोजक, उपदान की रकम का उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, उतने समय के भीतर जो विहित किया जाए, संदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(4) (क) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के बारे में अथवा उसके सम्बन्ध में, अथवा उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है तो नियोजक, उतनी रकम जितनी कि वह उपदान के रूप में अपनी ओर से संदेय स्वीकार करता है, नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर देगा ।

स्पष्टीकरण—जहां इस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत कोई विवाद है वहां कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी से ऐसी कार्रवाई करने के लिए आवेदन कर सकेगा जैसी कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है ।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी, सम्यक् जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम का अवधारण करेगा, तथा, यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप, नियोजक द्वारा जमा की गई रकम से अधिक रकम संदेय पाई जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी, नियोजक को उतनी रकम जितनी कि उसके द्वारा जमा रकम के आधिक्य में पाई गई है, संदाय करने का निदेश देगा ।

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी जमा की गई रकम, जिसके अन्तर्गत नियोजक द्वारा जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हो, भी है, उसके हकदार व्यक्ति को देगा ।

(घ) खण्ड (क) के अधीन रकम जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, नियंत्रक प्राधिकारी उस जमा रकम का संदाय—

(i) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी है तो उसी को, अथवा

(ii) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी नहीं है तो, यदि नियंत्रक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक के उपदान की रकम प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, कर्मचारी के नामनिर्देशिती या वारिस को,

करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय होती 1908 का 5

हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

1860 का 45

(6) इस धारा के अधीन कोई जांच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में, तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ, न्यायिक कार्यवाही होगी ।

(7) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(8) यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा अथवा उलट सकेगा ।

उपदान की वसूली ।

8. यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की रकम नियोजक द्वारा, विहित समय के भीतर, उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त नहीं की जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो, विहित समय के अवसान की तारीख से उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा ।

शास्तियां ।

9. (1) जो कोई, किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे इस अधिनियम के अधीन करना है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा संदाय करने से बचने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ, जानबूझकर कोई मिथ्या कथन अथवा मिथ्या व्यपदेशन करेगा अथवा कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करेगा, अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के असंदाय से संबंधित है वहां नियोजक कारावास से, जिसकी अवधि, तीन मास से कम की न

होगी, दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, इस राय का हो कि कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी।

नियोजक को कतिपय मामलों में दायित्व से छूट ।

10. जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित है वहां वह, उसके द्वारा सम्यक् रूप से किए गए परिवाद पर और परिवादी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन पूर्ण दिनों की लिखित सूचना देने पर, इस बात का हकदार होगा कि किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, उस आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर, न्यायालय के समक्ष लाया जाए; और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात्, नियोजक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है—

(क) कि उसने इस अधिनियम का निष्पादन कराने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है, तथा

(ख) कि उक्त अन्य व्यक्ति ने उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना अपराध किया है,

तो वह अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और उसी प्रकार के दण्ड का भागी होगा मानो वह नियोजक हो, और नियोजक ऐसे अपराध की बाबत इस अधिनियम के अधीन हर दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा :

परन्तु यथापूर्वोक्त बात को साबित करने में नियोजक की शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी और उसके तथा किसी ऐसे साक्षी के, जिसे वह अपने समर्थन में बुलाता है, साक्ष्य की, उस व्यक्ति की ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है तथा अभियोजक द्वारा, प्रतिपरीक्षा की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि नियोजक द्वारा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है तो न्यायालय सुनवाई को, समय-समय पर, तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए, स्थगित कर देगा और यदि वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति उक्त कालावधि की समाप्ति तक भी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है तो न्यायालय नियोजक के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और, यदि अपराध साबित हो जाए तो, नियोजक को दोषसिद्ध करेगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

11. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर के सिवाय नहीं करेगा :

परन्तु जहां उपदान की रकम का संदाय या उसकी वसूली विहित समय के अवसान से छह मास के भीतर नहीं की गई है वहां समुचित सरकार नियंत्रक प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करेगी कि वह नियोजक के विरुद्ध परिवाद करे और तब नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा परिवाद करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

12. इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

उपदान का संरक्षण ।

13. इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों आदि पर अध्यारोही होना ।

14. इन अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत अथवा संविदा में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

15. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार ।

26772
138Law/75—GIPE.